प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय
दिनांक–01.11.2023 (सं0–353)

बिहार सरकार का स्वीकृत्यादेश संख्या–12127, दिनांक 06.10.2023 के आलोक मे आज दिनांक 01.11.2023 को 28 जिलों में यातायात थानों का उदघाटन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों द्वारा सम्पन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्य के 12 जिलों में पूर्व से 15 यातायात थाने कार्यरत हैं। इस प्रकार अब राज्य के सभी पुलिस जिलों में यातायात थानों का संचालन प्रारम्भ हो गया।

जिन 28 जिलों में आज यातायात थानों का उदघाटन हुआ है, उसकी सूची निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	जिला	क्र0सं0	जिला
01	रोहतास,	15	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
02	बक्सर,	16	गोपालगंज
03	कैमूर (भभूआ)	17	सिवान
04	नवादा	18	लखीसराय
05	औरंगाबाद	19	जमुई
06	जहानाबाद	20	शेखपुरा
07	अरवल	21	खगड़िया
08	मधुबनी	22	शिवहर
09	समस्तीपुर	23	वैशाली
10	सुपौल	24	सीतामढी
11	सहरसा	25	नवगछिया
12	मधेपुरा	26	बाँका
13	बगहा	27	किशनगंज
14	पश्चिम चम्पारण(बेतिया)	28	अररिया

इन थानों का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा और इन पर नियंत्रण सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक का होगा। थानों में पर्याप्त मानव बल एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। थानों की भूमिका एवं दायित्व सम्बन्धी विस्तृत आदेश शीघ्र

निर्गत किया जा रहा है। ये थाने हर जिले में मुख्य रूप से निम्नांकित दायित्वों के केन्द्र बिन्दु में रहेंगे।

1. जिले के शहरी इलाको में यातायात नियंत्रण एवं विनियमन।
2. जिले के ट्रैफिक चोक प्वाइण्ट्स का हित धारक विभागो के सहयोग से अध्ययन एवं निराकरण।
3. यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रवर्तन।
4. सड़क दुर्घटना के काण्डों से सम्बन्धित आँकड़े एवं अन्य आँकड़ों के संकलन में नोडल भूमिका।
5. सड़क दुर्घटना के काण्डों का ससमय अनुसंधान एवं पीड़ितों के दावा भुगतान के मामलों में नोडल भूमिका।
6. जिले में खास कर राष्ट्रीय/राजकीय उच्च पथों पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित दायित्व।
7. आपातकालीन चिकित्सीय प्रतिक्रिया में सहयोग।
8. सड़क सुरक्षा एवं यातायात विनियमन से सम्बन्धित जागरुकता अभियान में नोडल भूमिका इत्यादि।

जैसा कि पूर्व में बताया गया है, दिनांक 30.11.2023 तक यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रवर्तन का मैनुअल तरीका सभी जिलों में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और जिलों को उपलब्ध कराये गये **HAND HELD DEVICE** की मदद से फोटोग्राफिक प्रमाण के साथ पारदर्शिता रखते हुए प्रवर्तन किया जा सकेगा। यातायात थानों के कार्यरत हो जाने से इस प्रकार सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन हेतु एक समर्पित पेशेवर इकाई हर जिले में उपलब्ध रहेगी।